प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक 04.05.2026

थाना रायपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-71/2026 धारा 109, 3 (5), 115 (2), 351 (2), 352 बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद–

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (आप०) श्री ऋषभ रुणवाल व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राज सोनकर के निर्देशन में थाना रायपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 02.05.2026 को थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत टेम्पो स्टैंड सरईगढ़ पर अभियुक्तगण द्वारा मजरूब मन्टू कुमार पुत्र विनोद शाह निवासी सिरसी थाना अधौरा जनपद कैमूर (बिहार) को जान से मारने की नीयत से बांस के डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायल को उपचार हेतु ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-71/2026 धारा 109, 3(5), 115(2), 351(2), 352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 04.05.2026 को थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण

01. अभिमन्नु पासवान पुत्र संतोष पासवान
02. वकील प्रजापति पुत्र सियाराम प्रजापति
03. पिन्टू खरवार उर्फ परमानन्द पुत्र विमल खरवार

समस्त निवासीगण ग्राम सरईगढ़ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र को आज दिनांक 04.05.2026 को समय करीब 07:30 बजे टेम्पो स्टैंड सरईगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद बांस के डंडे बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

बरामदगी:

घटना में प्रयुक्त 02 अदद बांस का डंडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

01. उ0नि0 शमशेर यादव थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
02. उ0नि0 नरेन्द्र प्रसाद सिंह थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
03. हे0का0 कृष्णा राय थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
04. हे0का0 अखिलेश थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।